बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

नि० प्रा० (11) नि० का०/01/2008/ पटना, दिनांक

विषय : विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत अभियंत्रण एवं पोलिटेक्निक (तकनीकी) संस्थानों के शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप) के निदेशों के आलोक मे एक वर्ष मे 240 (दो सौ चालीस) कार्य दिवस सुनिश्चित करने एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों हेतु स्वीकृत उपार्जित अवकाश लागू करने के संबंध में।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के नियन्त्रणाधीन अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक (तकनीकी) संस्थान द्वारा घोषित अवकाश सूची में एकरूपता लाने तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) के निर्देशों के अनुसार शिक्षण दिवस परीक्षा दिवस, प्रशिक्षण–भ्रमण, खेल–कूद आदि हेतु दिनों का निर्धारण आवश्यक है। इसके अलावा अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थान के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय शिक्षकों हेतु स्वीकृत उपार्जित अवकाश भी तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों के मामले में लागू करना आवश्यक है, चूंकि विश्वविद्यालय तथा तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों के कार्य दिवस की संख्या समान है।

2. अभातशिप द्वारा निर्धारित शैक्षणिक दिवस सुनिश्चित करने हेतु निम्नवत कार्य दिवस रखना आवश्यक है:–

i	शिक्षण दिवस	180 दिन
ii	परीक्षा दिवस	30 दिन
iii	प्रशिक्षण, भ्रमण	30 दिन
	कुल कार्य दिवस	240 दिन

3. अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया गया है:--

(i) उपर्युक्त कंडिका- 2 के अनुसार 240 दिन कार्य–दिवस तथा एक वर्ष में कुल रविवार की संख्या के अतिरिक्त बचे हुए दिवस को अवकाश दिवस के रूप में विभाग द्वारा वर्षवार अधिसूचित किया जायेगा।

(ii) विभागान्तर्गत तकनीकी संस्थानों के शिक्षक वेकेशनल कर्मी हैं, अतः विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षकों के अनुरूप विभागार्न्तगत अभियंत्रण एवं पोलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों के लिए निम्न रूप से उपार्जित अवकाश देय होगाः–

(iii) कुल कार्य-दिवस, (घोषित अवकाश सहित) का 1/30 दिन।

(iv) अवकाश अवधि में कार्य किये जाने पर किये गये कुल कार्य दिवस का 1/3 दिन।

(v) संस्थानों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य तथा विभागाध्यक्ष/प्रभारी विभागाध्यक्ष को कुल कार्य दिवस (अवकाश सहित) का 1/11 दिन

(vi) किसी भी शिक्षक को देय उपार्जित अवकाश एक वर्ष में 33 दिन तथा कुल संचित उपार्जित अवकाश 300 दिनों से अधिक देय नहीं होगा।

(vii) शिक्षकों द्वारा वर्ष मे कम से कम 180 दिन तथा सप्ताह मे 40 घंटा कार्य दिवस सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही वे 30 दिन मे एक दिन का उपार्जित अवकाश प्राप्त कर सकेंगे।

(viii) यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।
ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक वि० प्रा० (II) नि० को0/01/2008/ पटना,दिनांक
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
नील कमल,
उप सचिव

ज्ञापांक वि० प्रा० (II) नि० को0/01/2008/ पटना,दिनांक
प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
नील कमल,
उप सचिव

वि० प्रा० (II) नि० को0/01/2008/ पटना,दिनांक
प्रतिलिपि: सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
नील कमल,
उप सचिव

ज्ञापांक वि० प्रा० (II) छात्र/01/2008/ 1189 पटना,दिनांक 29-4-2010
प्रतिलिपि: विभागाधीनस्थ सभी अभियंत्रण महाविद्यालय (निजी सहित) सभी राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पॉलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, टेक्नोलॉजी भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नील कमल,
उप सचिव

ज्ञापांक वि० प्रा० (II) छात्र/01/2008/ 1189 पटना,दिनांक 29-4-2010
प्रतिलिपि: मंत्री/प्रधान सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

नील कमल,
उप सचिव